न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

अपील सं0 51/2017

श्रीमति मीरा देवी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बड़ागांव तहसील महवा जिला दौसा।
..अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए जिला रसद अधिकरी दौसा (राज0) ..रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी, दौसा दिनांकः 03.4.2017 उनवानी प्रकरण राज्य सरकार बनाम श्रीमति मीरा देवी अभियोग संख्या 476/2016

उपस्थितः 1.श्री सुनील कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः 28.01.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 03.04.2017 को अपीलांट का प्राधिकृत पत्र निरस्त कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी । रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । बहस उभय पक्ष की सुनी गयी ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि ग्राम पंचायत बड़ागांव तहसील महवा के उचित मूल्य दुकानदार श्रीमति मीरा देवी की जांच प्रवर्तन अधिकारी महवा द्वारा हमराह प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय दिनांक 29.11.2016 को थानाधिकारी मेहन्दीपुर बालाजी द्वारा लिखित तहरीर सं0 4438 दिनांक 29.11.2016 को दी जाकर थाने के इलाके से एक पिकअप नंबर आरजे 29 जीए 3160 बालाजी मोड के पास पुलिस थाना द्वारा गत रात्रि में पकड़ी गई जिसमें भरे हुए गेहूँ के बारे में ड्राईवर श्री रामवतार पुत्र उम्मेदालाल मीना निवासी कैलाई द्वारा बताया गया कि पिकअप में भरे सभी 60 कट्टे गेहूँ बड़ागांव तहसील महवा के डीलर श्रीमति मीरा देवी गुर्जर के बड़ागांव स्थित घर से भरकर लाया है। इस सूचना पर डीलर की ग्राम पंचायत बड़ागांव स्थित दुकान की जांच की जाकर रिपोर्ट दिनांक 30.11.2016 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई। जिस पर डीलर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर जिला रसद अधिकारी दौसा के कार्यालय आदेश रसद/अभियोग/2016/3445 दिनांक 30.11.16 द्वारा डीलर श्रीमति मीरा देवी का प्राधिकृत पत्र 90 दिवस के लिये निलम्बित किया गया तथा कार्यालय आदेश रसद/अभियोग/2016/3486 दिनांक 01.12.2016 द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक महवा को डीलर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसकी पालना में उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 181/2016 पुलिस थाना मेहन्दीपुर बालाजी में दर्ज कराई गई। जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं बाबत नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलांट का लिखित में जवाब पेश किया गया परन्तु जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब पर बिना विचार किये ही दिनांक 03.4.2017 को अपीलांट का प्राधिकृत पत्र निरस्त करने व प्रतिभूति राशि 1000/— रूपये जब्त करने के आदेश पारित कर दिये। अपीलांट ने अपने जवाब के पैरा नं0 3

में लिखा है कि दुकान के बाहर स्टॉक प्रदर्शन एवं मूल्य सूची बोर्ड लगा रखा है जो आज भी मौजूद है। प्रत्येक माह मासिक वितरण की सूची भी जिला रसद अधिकारी के यहां प्रस्तुत की जाती रही है। अपीलांट ने जवाब के चरण सं0 2 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थीया के पास पूर्व स्टॉक 56.86 क्विंटल गेहूँ था एवं क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 द्वारा दिनांक 23.11. 2016 को माह दिसम्बर पेटे 81.83 क्विंटल गेहूँ भिजवाया गया, इस प्रकार अपीलांट के पास कुल 138.69 क्विंटल गेहूँ स्टॉक में था जिसको अपीलांट द्वारा स्वीकृत गोदामों में रखा हुआ था। प्रार्थीया की उचित मूल्य दुकान वार्ड नं0 4 बड़ा गांव तहसील महवा में स्थिति है जिसका नक्शा जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 07.6.2013 को स्वीकृत किया गया है। चूँकि उक्त स्वीकृत दुकान सकड़ी गली में होने के कारण ट्रक दुकान तक नहीं पहुंच पाने के कारण प्रार्थीया द्वारा एक अन्य गोदाम हिण्डोन महवा रोड पर ले लिया जिसका नक्शा प्रवर्तन अधिकारी महवा द्वारा दिनांक 20.1.2016 को प्रमाणित करवाया गया। वक्त निरीक्षण 29.11.2016 को प्रवर्तन अधिकारी केवल मात्र हिण्डोन महवा रोड पर स्थित गोदाम की जांच की गई जिसमें 105.1 क्विंटल गेहूँ मौजूद मिला एवं पूर्व में स्वीकृत दुकान जो कि वार्ड नं0 4 में स्थित है जिसकी कोई जांच नहीं की गई। यदि उक्त दुकान की जांच की जाती तो गेहूँ का स्टॉक पूर्ण मिलता तथा अपीलांट के उक्त स्वीकृत दुकान में लगभग 33 क्विंटल गेहूँ रखा हुआ था जिसकी भौतिक जांच बाबत प्रार्थीया द्वारा दिनांक 19.12.2016 को जिला रसद अधिकारी दौसा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। परन्तु जिला रसद अधिकारी द्वारा कोई जांच नहीं करवाई गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय का उक्त प्रश्नगत आदेश अवैधानिक व मनमाना होने से निरस्त योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी दौसा का आदेश दिनांक 03.04.2017 निरस्त करते हुए प्रार्थीया का प्राधिकृत पत्र बहाल करने के आदेश फरमावें।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 30.11..2016 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर निम्न अनियमितता पाई गईः—

1. स्वयं दुकानदार मीरा देवी जांच के दौरान दुकान पर उपस्थित नहीं हुई।
2. दुकान/गोदाम में रखी राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन करने पर 32.66 क्विंटल गेहूँ कम मिला।
3. उचित मूल्य की दुकान/गोदाम के बाहर स्टॉक प्रदर्शन मूल्य सूची का अंकन नहीं पाया गया। मांगने पर भी उपस्थित व्यक्ति/प्रतिनिधि ने मासिक रिटर्न की प्रति प्रस्तुत नहीं की। प्राधिकार पत्र व अधिकृत/स्वीकृत नक्शा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया।

तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 07.6.2013 को मौके का नक्शा वेरिफाई किया गया था उसको जिला रसद अधिकारी द्वारा अधिकृत/प्रमाणित किया गया है, उसी स्थान की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तथा और कोई नक्शा अधिकृत/प्रमाणित नहीं किया गया। सिर्फ तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक श्री भारमल मीना द्वारा सामग्री डम्पिंग करने की अस्थाई स्वीकृति दिनांक 20.1.2016 को दी गई थी जिसकी फोटो प्रति डीलर द्वारा बाद में प्रस्तुत की गई है वह जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अनुमोदित नहीं होने के कारण अधिकृत नहीं है। अतः डीलर श्रीमति मीरा देवी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पचांयत बड़ागांव तहसील महवा द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 व 20 व इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1,2,5,6,7,8,10,11,17ग,18व खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। इसलिये अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.4.2017 का अवलोकन करने पर उक्त आदेश पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र का क्रमांक दिनांक अंकित नहीं होना पाया गया है। किन्तु प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अपीलांट की अधिकृत दुकान/गोदाम में रखी राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन करने पर 32.66 क्विंटल गेहूँ कम मिलना तथा उक्त पिकअप नंबर आरजे 29 जीए 3160 जो बालाजी मोड के पास पुलिस थाना द्वारा रात्रि में पकड़ी गई उसमें भरे हुए गेहूँ की मात्रा और अपीलांट को अधिकृत गोदाम में कम पाये गये गेहूँ की मात्रा बराबर होने सम्बधित तथ्य से अपीलांट द्वारा की गई अनियमितता की पुष्टि होती है जिसको मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.04.2017 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 28 जनवरी 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा